कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, होफ, राजस्थान, जयपुर

Deputy Chief Engineer (Construction) Northern Western Railway Udaipur द्वारा **Gauge Conversion of Udaipur – Ahamdabad Railway line** कार्य हेतु उदयपुर जिले के डेडकिया, खरबा, झलि का गुडा, जगत, बगूरवा, एकलिंगपुरा, ओडा जिला उदयपुर मे 35.7823 है0 वन भूमि के अनारक्षण हेतु online पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/RAIL/20470/2016 दिनांक 14.7.2016 को रजिस्टर किया गया था। मुख्य वन संरक्षक उदयपुर के पत्रांक 3853 दिनांक 17.5.2017 से पार्ट ।।, पार्ट ।।। भरा जाकर प्रस्तुत किया गया है। सम्पूर्ण प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने पर निम्नांनुसार टिप्पणी प्रस्तुत है।

1. उप वन संरक्षक (उत्तर एवं दक्षिण) उदयपुर द्वारा प्रस्ताव के पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 5 में कार्य आयोजना विवरण के संबंध में आवयश्क पूर्ती नही की गई है।
2. यूजर ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि का विवरण प्रस्ताव के पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 13 में दिया गया है इसमें निम्नानुसार कमिया है।
    1. प्रस्ताव में 35.7823 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन किया जाना है जबकि विवरण में गैर वन भूमि 34.4380 है0 का भरा गया है। प्रस्ताव में 1.3443 है0 अतिरिक्त गैर वन भूमि का विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
    2. संलग्न की गई KML File में एरिया 37 है0 दर्शाया गया है। जबकि प्रस्ताव में दी गई गैर वन भूमि का विवरण 34.4380 है0 दर्शाया गया है जिसे संशोधन किया जाकर सही स्थिति दर्शाया जाना प्रस्तावित है।
    3. प्रस्ताव में गैर वन भूमि 35.7823 है0 आबंटित कराई जाकर पूर्ण भूमि का विवरण (KML File, DGPS Map & GT Sheet Map) संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।

3 यूजर ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि (35.7823) का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।

4 उप वन संरक्षक उत्तर उदयपुर द्वारा प्रस्ताव में ईको क्लास केटेगरी 3 एवं घनत्व 0.4 भरा गया है जबकि दर घने वृक्षों की चार्ज की गई है। (हार्ड प्रति में) जो कि उचित नही है।

5 उप वन संरक्षक दक्षिण उदयपुर द्वारा प्रस्ताव में वन का घनत्व 0.75 बताया गया है जबकि प्रस्ताव में ऑनलाईन 5299 वृक्ष होना अवगत कराया है एवं हार्ड प्रति में दो प्रपत्र 9353 एवं 160 वृक्षो का दिया गया है सही स्थिति स्पष्ट की जानी प्रसतावित है। इसके अतिरिक्त उदयपुर उत्तर एवं दक्षिण वन मंडल में वृक्षों के घनत्व में काफी अन्तर (0.4 एवं 0.75) है जिस पर पुर्नविचार किया जाना प्रस्तावित है साथ ही वृक्षो की सूचियों का मिलान ऑनलाईन एवं हार्ड प्रति में किया जाना है।

6 उप वन संरक्षक दक्षिण उदयपुर द्वारा संलग्न की गई स्थल निरीक्षण रिपार्ट में स्थल का नाम एवं प्रत्यावर्तन की जाने वाली भूमि का उल्लेख नही है जो किया जाना प्रस्तावित है।

7 प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की गणना संलग्न नही की गई है।

8 यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत वनाधिकर प्रमाण पत्र में गिर्वा उपखण्ड अधिकारी कार्यवाही विवरण एवं ग्राम सभा कार्यवाही विवरण में वन भूमि को गैर वन भूमि में रूपान्तरण किये जाने की अनुशंषा की गई है। संशोधित प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने प्रस्तावित है।

9 यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्न किये गये कास्ट बेनेफिट प्रपत्र में कास्ट बेनेफिट रेशो संलग्न नही किया गया है जो अपेक्षित है।

10 प्रसताव में प्रस्तुत की गई हार्ड प्रति का समन्वय सही प्रकार से नही किया गया है एवं समस्त पृष्ठों पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। साथ ही ऑनलाईन किये गये समस्त दस्तावेज हार्ड प्रति में सम्मिलित नही है। जो संलग्न किये जाने प्रस्तावित है। प्रस्ताव में एक हार्ड प्रति (मूल) एवं एक प्रति फोटो प्रति जिसमे सभी पृष्ठो पर (वन विभाग द्वारा जारी पत्रों के अतिरिक्त) अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं उप वन संरक्षक द्वारा सभी नक्शे, एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट, खसरा मेप पर हस्ताक्षर किये जाने अपेक्षित है।

अतः उक्तानुसार बिन्दु संख्या 1 लगायत 10 की सूचना भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है।